

APPENDIX-IV-A
[Refer Provision to 8(6) & rule 9(1)]

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with provision to Rule 8 (6) & rule 9(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described immovable property/properties were mortgaged/charged to the **Central Bank of India, Biharsarif Branch**, Secured Creditor, the **Symbolic possession** of which has been taken by the Authorised Officer of **Central Bank of India**, Secured Creditor, will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" basis, condition on **16/03/2026** between **11:00 AM to 05:00 PM**, for the recovery of sum of **Rs. 10,36,906/- (Rupees Ten Lakh Thirty Six Thousand Nine Hundred Six only)** and interest & other charges as on **06/10/2015** and further interest there on from **07/10/2015** and other expenses thereon due to the secured creditor **Central Bank of India, Biharsarif Branch** from the **Borrowers 1. Mr. Rakesh Kumar** Mohalla-Saluganj Biharsarif District: Nalanda, Bihar 803101 **2. Mr. Manoj Kumar** Mohalla-Saluganj Biharsarif District: Nalanda, Bihar 803101 & Guarantor Mrs. Shakuntala Devi W/o Mr. Dayanand Prasad Mohalla-Saluganj Biharsarif, District: Nalanda, Bihar 803101

The Reserve Price will be **Rs.21,93,300/- (Rupees Twenty One Lakh Ninety Three Thousand Three Hundred Only)**; The Earnest Money Deposit will be **Rs.2,19,330/- (Rupees Two Lakh Nineteen Thousand Three Hundred Thirty only)** & Bid increment amount **Rs.22,000/- (Rupees Twenty Two Thousand Only)**.

Date and time of Auction: Date: 16/03/2026, Time Between 11:00 AM to 05:00 PM.

Mode of Auction: E-Auction <https://centralbankofindia.co.in/> or visit <https://ebkray.in/> and or contact Recovery Department, Regional Office, Gaya (Mobile: 6398948203)

All that part and parcel of House Property(Land) in the name of Mrs. Shakuntala Devi W/O Mr. Dayanand Prasad

Details/Description of the property/ies

Area	Location	Property details	Boundary
7.5 Dhur	Mohalla-Saluganj Biharsarif District- Nalanda	H.NO.-717B/735 W. NO.- 3/5/42	North:-Gali then Moniba Khatoon South:- Navesb Kumar East:- Gali Fulchand Sharma West:- Dr. Nishad Present Baleshwar Pd Verma

For detailed terms and condition of the sale, please refer to the link provided in Central Bank of India Secured Creditor's website i.e. <https://www.centralbankofindia.co.in> and service provider's website <https://ebkray.in>.

Date: 06-02-2026
Place: Gaya

Authorised Officer
Central Bank of India

शिक्षकों की सूची तैयार कर आवश्यक श्रेणियों के साथ निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। जिला स्तर पर यह शिक्षकों को सेवा सुरक्षा और प्रोत्साहन देने की में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है, जिससे लक्ष्यों में शैक्षणिक गुणवत्ता को भी बल मिलने म्मीद है।

कारोबारी गिरफ्तार, ने भेजा जेल

शेखपुरा नगर क्षेत्र के मोहल्ले से उत्पाद पुलिस ने राब कारोबारी को गिरफ्तार मवार को जेल भेज दिया है। मो. इमरान खान ने बताया सूचना मिली थी कि खांडपर में अवैध शराब का कारोबार रहा है। सूचना के आधार पुलिस की टीम ने मोहल्ले छापेमारी अभियान ग्रामेवारी के दौरान पुलिस ने अवैध शराब बरामद की। थ ही कारोबारी ब्रह्मदेव गिरफ्तार कर लिया गया। के बाद आरोपी को कानूनी प्रक्रिया के तहत जांच के लिए सदर शेखपुरा लाया गया, जहां परीक्षण कराया गया।

जांच पूरी होने के बाद धनियम के तहत मामला आरोपी को न्यायिक भेज दिया गया।

छठे दिन 654 हे अनुपस्थित

इंटरमीडिएट छठे दिन सोमवार सभी परीक्षा केंद्रों मुक्त माहौल में हुई। पहली पाली दूसरी पाली में परीक्षा आयोजित भी परीक्षा केंद्र आरोप में एक को निष्कासित को मिलाकर परीक्षार्थियों को मेल होना था, 636 परीक्षार्थी जबकि 654 पस्थित रहे। में 30,716 ने 30,317 ने 399 परीक्षार्थी में 11,574 से 11,319 जबकि 255 में शामिल

अनियंत्रित बाइक बिजली के खंभे से टकराई, दो घायल

सिटी रिपोर्टर | रहूई

थाना क्षेत्र के सोनसा मोड़ के समीप बिहटा-सरमेरा मुख्य मार्ग पर सोमवार की शाम तेज रफ्तार बाइक सड़क किनारे बिजली के खंभे से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों की पहचान बिंद थाना क्षेत्र के बिंद गांव के बेनीपुर मोहल्ला निवासी

वीरन राउत के पुत्र अभिषेक कुमार एवं घनश्याम राउत के पुत्र अमन कुमार के रूप में हुई है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने डायल 112 को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए उन्हें बिहारशरीफ रेफर कर दिया गया।

सम्मान समारोह में शामिल होने कार्यकर्ता हुए खाना

शेखपुरा | पटना स्थित बापू सभागार में आयोजित भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के सम्मान समारोह में शामिल होने के लिए जिलाध्यक्ष रेशमा भारती के नेतृत्व में शेखपुरा से बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता पटना के लिए खाना हुए। कार्यक्रम में भागीदारी को लेकर शेखपुरा के भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा पूर्व से ही व्यापक तैयारी की गई थी। सोमवार की सुबह करीब 8 बजे भाजपा जिला पार्टी कार्यालय से नेताओं और कार्यकर्ताओं का जत्था भारी काफिले के साथ पटना के लिए प्रस्थान किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा गया। कार्यक्रम को सफल बनाने के उद्देश्य से शेखपुरा जिले से भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई।

प्रोत्साहन आधारित भुगतान व्यवस्था समाप्त कर नियमित मानदेय लागू करने की मांग की।

कार्यकर्ताओं ने सरकार से आशा कर्मियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने, प्रोत्साहन राशि हटाकर 25,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय निर्धारित करने तथा लंबित भुगतान अविलंब जारी करने की मांग की।

बदमाशों ने दंपती को पीटा, दहशत में परिवार

बिहारशरीफ | हरनौत थाना अंतर्गत जोरारपुर गांव में सोमवार को बदमाशों ने एक दंपती के साथ मारपीट कर उन्हें जखमी कर दिया। घायल सुरेश रविदास एवं उनकी पत्नी गुड़िया देवी का इलाज सदर अस्पताल में कराया गया। घटना के बाद बदमाशों की दहशत से पूरा परिवार घर लौटने में डर महसूस कर रहा है। पीड़ितों को आशंका है कि वापस लौटने पर बदमाश फिर से हमला कर सकते हैं।

पीड़ित दंपती ने बताया कि उनके घर के पास कुछ नशेड़ी गाली-गलौज कर रहे थे। इसका विरोध करने पर आरोपितों ने लाठी-डंडे से मारपीट कर दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए।

थानाध्यक्ष ने बताया कि मामले में चार नामजद एवं आठ अज्ञात आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। घटना की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया गया, जिसने साक्ष्यों के नमूने एकत्र कर जांच के लिए भेज दिया है। अग्रेतर कार्यवाही जारी है।

संगीता कुमारी, सरिता कुमारी, दुलारी कुमारी, अल्माटी कुमारी, पूनम कुमारी, ललिता कुमारी, कमला कुमारी, रीता कुमारी, दारुण कुमारी, निर्मला कुमारी, बिना कुमारी, ममता कुमारी, सियावती कुमारी, गायत्री कुमारी, बच्ची कुमारी, जुली कुमारी सहित दर्जनों आशा कार्यकर्ता एवं फैसिलिटेटर मौजूद रहें।

हाथ कटने से बच्ची जखमी

बिहारशरीफ | पेंदापुर में सोमवार को चारकल से बच्ची का हाथ कटने से वह जखमी हो गई। जखमी राजीव कुमार की 5 साल की बेटी सोनाली कुमारी को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया।

व

न्यायालय

श्रीमान भूमि सुधार उपसमाहर्ता हिलसा, नालन्दा

भूमि विवाद वाद संख्या-08/2025-26

परशुराम ठाकुर वगैरह..... आवेदकगण।

वनाम

रंजन यादव वगैरह..... विपक्षीगण।

नोटिस बनाम विपक्षीगण 1. रंजन यादव 2. मनोज यादव दोनों पिता स्व० बोधी यादव, दोनों ग्राम केवाली, पोस्ट -कोचरा, थाना खोदागंज, अंचल- इसलामपुर, जिला- नालन्दा।

चूँकि आवेदकगण ने उक्त न्यायालय में आपलोगो के विरुद्ध भूमि विवाद का मुकदमा दाखिल किये है जिसमें आपलोगो को निबंधित डाक के माध्यम से तीन बार नोटिस सम्मन भेजा गया है उसके वावजूद भी आपलोग जान बुझकर न्यायालय में हाजिर नहीं हो रहे है। अतः इस पेपर के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 28.02.2026 को 10 बजे दिन में स्वयं या अपने-अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपना-अपना पक्ष रखे अन्यथा आपके गैरहाजिरी में एक तरफ सुनवाई की जायेगी। इसे ताकिद ज्ञातें।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता हिलसा नालन्दा



सेण्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India

1911 से आपके लिए "सेण्ट्रल" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) एवं नियम 9(1) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना।

एतद्वारा सर्वसाधारण को एवं विशेष रूप से उधारकर्ता (ओं) एवं जमानतदार (ओं) 1. श्री राकेश कुमार मोहल्ला-सालूगंज बिहारशरीफ, जिला: नालन्दा, बिहार 803101 2. श्री मनोज कुमार मुहल्ला-सालूगंज बिहारशरीफ, जिला: नालन्दा, बिहार 803101 को सूचित किया जाता है कि निचे वर्णित अचल सम्पत्ति को सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी/बंधक है, जिसका सांकेतिक कब्जा सुरक्षित लेनदार, सेण्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बिहारशरीफ शाखा के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, निचे उल्लेखित सुरक्षित लेनदार, उधारकर्ता एवं जमानतदारों से सेण्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बिहारशरीफ शाखा द्वारा बकाया राशि रु. 10,36,906/- (रुपये दस लाख छत्तीस हजार नौ सौ छह मात्र) दिनांक 06.10.2015 तक ब्याज एवं अन्य शुल्क एवं दिनांक 07.10.2015 से आगे का ब्याज एवं उस पर अन्य खर्च की वसूली के लिए निम्नलिखित सम्पत्तियों को "जैसा है जहाँ है", "जैसा है जो है", एवं "जो कुछ भी है" के आधार पर दिनांक 16.03.2026 को बेची जाएगी।

आरक्षित मूल्य: रु. 21,93,300/- (रुपये इक्कीस लाख तिरानवे हजार तीन सौ मात्र); अग्रधन जमा: रु. 2,19,330/- (रुपये दो लाख उन्नीस हजार तीन सौ तीस मात्र), बोली वृद्धि राशि रु. 22,000/- (रुपये बाईस हजार मात्र)।

नीलामी की तिथि एवं समय: 16.03.2026, समय सुबह 11:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक।

नीलामी का मोड: ई-नीलामी <https://centralbankofindia.co.in/> या <https://ebkay.in/> पर जाएं और या वसूली विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, गया (मोबाइल: 6398948203) से संपर्क करें। श्रीमती शकुंतला देवी पति श्री दयानंद प्रसाद के नाम पर स्थित मकान (भूमि) का वह संपूर्ण भाग।

संपत्ति/संपत्तियों का विवरण/विवरण:-

क्षेत्रफल	स्थान	सम्पत्ति का विवरण	सेल डीड के अनुसार चौहद्दी
7.5 धुर	मुहल्ला-सालूगंज बिहारशरीफ, जिला-नालन्दा	गृह संख्या-717बी/735 वाई संख्या- 3/5/42	उत्तर-गली फिर मोनिबा खातून, दक्षिण:- नवेश कुमार पूर्व:- गली फूलचंद शर्मा, पश्चिम:- डॉ. निषाद वर्तमान बालेश्वर प्रसाद वर्मा

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया सेण्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया सिब्योर्ड क्रेडिटर की वेबसाइट यानी <https://www.centralbankofindia.co.in> एवं सेवा प्रदाता की वेबसाइट <https://ebkay.in> पर जाएं लिंक को देखें।

दिनांक : 06.02.2026

स्थान : गया

नोट:- विवाद की स्थिति में अंग्रेजी प्राठ मान्य होगा।

प्राधिकृत अधिकारी
सेण्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

